17

(2)

(63)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

क्रमांक:-एफ-2131/लागत/49/452 दिनांक:-15/12/1992

कार्यालय आदेश

विषय:- मण्डल द्वारा नीलाम की गई दुकानों/भूखण्डो की उच्चतम बोली की स्वीकृति बाबत् ।

मण्डल द्वारा स्वीकृत नीलामी की शर्तों में इंगित है कि मण्डल द्वारा नीलाम की गई समस्त सम्पत्ति की उच्चतम नीलामी बोली को स्वीकृत करने का अधिकार सम्पत्ति आवंटन समिति अथवा अन्य सक्षम अधिकारी जो कि आवासन मण्डल के सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय हैं, को है ।

यह देखने में आया है कि जयपुर मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य शहरों में मण्डल द्वारा नीलाम की गई सम्पत्ति की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से प्राप्त नहीं की जाती है एवं सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त अपने स्तर पर ही प्राप्त बोली की स्वीकृति कर देते हैं जो कि नियम विरुद्ध है एवं इससे स्वीकृत की जा रही बोलियों में एक रूपता का भी अभाव रहता है । इस प्रकरण को अध्यक्ष महोदय ने गंभीर माना है ।

अतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभी सम्बन्धित वृत/खण्ड कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में नीलाम की जा रही सम्पत्ति की बोली की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से प्राप्त कर ही स्वीकृत बोली दाता के नाम आवंटन पत्र जारी किया जावे ।

उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी की ही जिम्मेदारी होगी ।

[signature]

(एस. सी. व्यास)
मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निजी सचिव-अध्यक्ष महोदय, राज0आवासन मण्डल, जयपुर ।
2- निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज0आवासन मण्डल, जयपुर ।
3- मुख्य अभियन्ता, राज0 [illegible]